an>

Title: Need to enquire against corruption involved in Bundelkhand package scheme.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने बैलेट के बावजूद भी सदस्यों को बोलने का मौका दिया है। मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुंदेलखंड पैकेज के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच का आदेश दिया है। मैंने पहले भी सदन में यह बात उठायी है। मुझे दो बातें सरकार से कहनी हैं। यहाँ माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। बुंदेलखंड पैकेज योजना पिछली सरकार में योजना आयोग ने दिया था। उसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई भी विभाग या मंत्रालय तय नहीं हुआ है, उस कारण से जो अकूत भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पेयजल के मामले में बुंदेलखंड जैसे गरीब क्षेत्र के साथ जो छलावा हुआ है, सरकार उसकी मॉनिटरिंग का प्रबन्ध करे। किसी विभाग या मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके भ्रष्टाचार की जाँच कौन करेगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस भ्रष्टाचार पर सील लगा दी है कि उसमें भयानक भ्रष्टाचार हुआ है।

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा उठाये गये विषय से श्री आलो संजर को संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।